न्यायालय : न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (राज·)

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 46/2021
सीआईएस नंबर : 46/2021
CNR : RJBA010002912021

01. पेमाराम पुत्र कुम्भाराम, 49 वर्ष,
02. चनणी पुत्री पेमाराम, उम्र 24 वर्ष,
03. नताराम पुत्र पेमाराम, उम्र 22 वर्ष,
04. अणसीदेवी पत्नी कुम्भाराम, उम्र 70 वर्ष,
निवासियान धुरियावास, होडू, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर ।

——प्रार्थीगण

बनाम

01. खेमाराम पुत्र देराजराम, निवासी लखवारा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर (राज.) ।

(चालक वाहन संख्या जी जे 12 ए वाई 8198)

02. नेमाराम पुत्र गोमाराम, निवासी पांचाणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर (राज.) ।

(मुख्त्यार खास वाहन संख्या जी जे 12 ए वाई 8198)

03. मुरजी भाई पुत्र हमीर भाई छैया, निवासी वीरा, तहसील अंजार, जिला कच्छ (गुजरात) ।

(रजिस्टर्ड मालिक वाहन संख्या जी जे 12 ए वाई 8198)

04. Go Digit General Insurance Ltd., Ombudsman Jeevan Nidhi– II Bldg. Gr. Floor, Bhawani Singh Marg, Jaipur (Raj.)

(बीमा कम्पनी वाहन संख्या जी जे 12 ए वाई 8198)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 व 1994

उपस्थित:–

01. श्री सम्पतसिंह खारवाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से ।

02. अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 अनुपस्थित ।
03. श्री किरण मंगल, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से ।

– निर्णय –

दिनांकः 18.06.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा यह क्लेम याचिका अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत श्रीमती मानीदेवी की दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में मुआवजे हेतु दिनांक 12.01.2021 को पेश की गयी ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दुर्घटना दिनांक 18.01.2020 को दिन में मृतका मानीदेवी घरेलू सामान लेने हेतु होडू आई थी तथा सामान लेकर करीब 04.00 बजे होडू से निम्बलकोट जाने वाली रोड़ पर पैदल–पैदल घर जा रही थी । होडू से थोड़ा आगे निम्बलकोट जाने वाली सड़क पर पहुँची तब ट्रैक्टर नंबर आर जे 04 आर बी 2866 मय ट्रोली रोड़ के साइड में खड़ा किया हुआ चालक उस पर बैठा था । मानीदेवी ट्रैक्टर के पास से होकर थोड़ा आगे निकली कि इतने में पीछे से ट्रेलर टंकी रजि. नंबर जी जे 12 ए वाई 8198 का चालक ट्रेलर टंकी को तेज गति एवं लापरवाही से चलाता हुआ आया तथा ट्रैक्टर मय ट्रोली के टक्कर मारी जिससे मानीदेवी ट्रैक्टर मय ट्रोली के नीचे दब गई व ट्रैक्टर चालक उछलकर दूर गिर गया, इतने में पीछे, होडू से प्रेमाराम व शंकराराम आए व मानीदेवी को ट्रैक्टर की ट्रोली के नीचे से निकालकर सिणधरी अस्पताल पहुँचाया । उक्त दुर्घटना में मानीदेवी के गंभीर चोटें आईं व मानीदेवी का पैर ट्रैक्टर की ट्रोली के नीचे दबने से कटकर अलग हो गया, जिस पर मानीदेवी को उच्च इलाज हेतु एम्स हॉस्पीटल, जोधपुर ले जाया गया, जहाँ दौराने इलाज मानीदेवी की दिनांक 29.02.2020 को मृत्यु हो गई । दुर्घटना की रिपोर्ट लाखाराम द्वारा पेश की गई जिस पर पुलिस थाना सिणधरी में प्रकरण सीआर नं. 09/2020 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 व 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया । बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 खेमाराम द्वारा ट्रेलर टंकी रजि. नंबर जी जे 12 ए वाई 8198 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित मानते हुए, अप्रार्थी संख्या 01 के

विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया । प्रार्थीगण ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में 65,50,000/– मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया ।

3. अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के जारीशुदा सम्मन लौटकर नहीं आए । दिनांक 06.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की ओर से अधिवक्ता श्री अमराराम चौधरी ने आईंदा पेशी पर वकालतनामा पेश करने की अण्डरटेकिंग दी, तत्पश्चात् दिनांक 23.11.2023 को वकालनामा व जवाब पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग दी । ताबाद अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने एवं बावजूद कई अवसरों के वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 01.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 का जवाब बंद किया गया ।

4. अप्रार्थी संख्या 04 बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन पश्चात् पेश की गई है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना, वाहन संख्या जी जे 12 ए वाई 8198 से घटित नहीं हुई । वाहन चालक व मालिक द्वारा प्रार्थी पक्ष से दुरभि संधि कर प्रार्थी पक्ष को क्लेम दिलाने की नीयत से उनके वाहन को उक्त दुर्घटना में गलत रूप से लिप्त होना बताया है । वास्तव में उक्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी । यह कथन किया है कि दुर्घटना, वाहन संख्या जी जे 12 ए वाई 8198 के चालक की गलती एवं लापरवाही के कारण घटित नहीं हुई है अपितु उक्त दुर्घटना वाहन ट्रैक्टर संख्या आर जे 04 आर बी 2866 के चालक की गलती एवं लापरवाही के कारण घटित हुई है ऐसी स्थिति में उक्त ट्रैक्टर का चालक, मालिक व बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार हैं जिनको पक्षकार बनाए बिना यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है । अप्रार्थी बीमा कंपनी प्रार्थी पक्ष को क्लेम अदा करने हेतु जिम्मेवार नहीं होना बताते हुए, क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया ।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:–

01. आया दिनांक 18.01.2020 को वक्त शाम करीब 04.00 बजे

सरहद मौजा होडू–निम्बलकोट रोड़ पर अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन ट्रेलर टंकी संख्या जी जे 12 ए वाई 8198 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर ट्रेक्टर ट्रोली को टक्कर मारी जिससे ट्रेक्टर ट्रोली के पास खड़ी मानीदेवी नीचे दब गई, जिसके परिणामस्वरूप मानीदेवी के शरीर पर गंभीर चोटें कारित होने से दौराने इलाज मृत्यु कारित हुई ?

–जिम्मे प्रार्थीगण

02. आया प्रार्थीगण अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 65,50,000/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

–जिम्मे प्रार्थीगण

03. आया अप्रार्थी संख्या 04 के जवाब के "विशेष आपत्तियाँ" नामक शीर्षक में उल्लेखित प्रतिरक्षाओं का क्लेम प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव है ?

–जिम्मे अप्रार्थी संख्या 04 बीमा कंपनी

04. अनुतोष ?

6. प्रार्थीगण की ओर से गवाह ए.डब्ल्यू. 01 पेमाराम व ए.डब्ल्यू. 02 लाखाराम के कथन करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण, इलाज के दस्तावेज एवं अन्य संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 01 से 54 तक प्रदर्शित करवाये हैं ।

7. अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद अवसर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की एवं दिनांक 23.04.2026 को साक्ष्य अप्रार्थीगण बंद की गई ।

8. बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन ट्रेलर नंबर जी जे 12 ए वाई 8198 को तेज गति व उपेक्षापूर्वक चलाकर ट्रैक्टर मय ट्रोली के टक्कर मारने एवं ट्रोली मृतका मानीदेवी के ऊपर

गिरने से होना एवं दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप दौराने इलाज मानीदेवी की मृत्यु होना साबित है। यह भी तर्क दिया कि मृत्यु के समय मानीदेवी की आयु 40 वर्ष थी, जो पशुपालन व ऊन कताई (हथकरघा) का कार्य करके मासिक 15,000/– रुपये आय अर्जित करती थी। मृतका के कारित गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाया जिसमें काफी खर्च भी हुआ है अतः माफिक क्लेम याचिका मुआवजा दिलाने का निवेदन किया।

9. प्रार्थीगण की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 04 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं तर्क दिया कि दुर्घटना की रिपोर्ट देरीना प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी पक्ष ने अप्रार्थी वाहन चालक व मालिक से दुरभि संधि कर उनके वाहन संख्या जी जे 12 ए वाई 8198 को मिथ्या लिप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि उक्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। विकल्प में यह भी तर्क दिया है कि दुर्घटना वाहन ट्रैक्टर ट्रोली संख्या आर जे 04 आर बी 2866 से घटित हुई है जिस ट्रैक्टर ट्रोली के चालक, मालिक व बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार है जिन्हें पक्षकार बनाने के अभाव में क्लेम याचिका काबिले निरस्त होने से क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

01. Haseena Vs The United India Insurance Co. Ltd. on 04 September, 2025 (SC)
02. 2021 ACJ 600 (GAUHATI) Oriental Ins. Co. Ltd. Vs Hamida Begum and Ors.
03. Bajaj Allianz Vs Manisha Kale, Bombay HC, Aurangabad Bench, 2018
04. SC Judgment in the case of Mathew Alexzndar Vs Mohammad Shafi (2023)
05. 2016(1) ACTC 337 (Raj.) Mahendra Vs Girdhari & Ors.

06. 2004 RAR 547 (Raj.) Mala Ram Vs Roopa Ram

07. 2016(1) ACTC (Raj.) 78 Mohra Devi & Ors. Vs Dhan Singh Patyal & Anr.

10. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना, प्रस्तुत हुए न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली का अवलोकन किया, जिस पर विवाद्यकवार मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 01

11. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था, जिनकी ओर से विवाद्यक को साबित करवाये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू. 01 पेमाराम व ए.डब्ल्यू. 02 लाखाराम के कथन करवाये हैं । दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण, इलाज के दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज प्रदर्श 01 से 54 प्रदर्शित करवाये ।

12. ए.डब्ल्यू. 01 पेमाराम प्रार्थी, मृतका मानीदेवी का पति है जिसने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार ही दुर्घटना होना कथन किये है । प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना घटित होते नहीं देखी । गवाह द्वारा जिरह में किये कथनों से यह गवाह चश्मदीद होना प्रकट नहीं होता है ।

13. ए.डब्ल्यू. 02 लाखाराम, को घटना का चश्मदीद साक्षी बताते हुए बरवक्त घटना, दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर नंबर आर जे 04 आर बी 2866 पर बैठा होना बताया है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दुर्घटना दिनांक 18.01.2020 को शाम करीब 04.00 बजे वह, उसका ट्रैक्टर नंबर आर जे 04 आर बी 2866 होड़ से आगे निम्बलकोट की तरफ जाने वाली डामर सड़क पर रोड़ से साइड में खड़ा करके, ट्रैक्टर पर बैठा था । ट्रैक्टर के पास से मानीदेवी पत्नी पेमाराम रोड़ के किनारे से जा रही थी, उसी समय ट्रेलर टंकी रजि. नंबर जी जे 12 ए वाई 8198 के चालक ने ट्रेलर टंकी को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए ट्रैक्टर मय ट्रोली के पीछे से टक्कर मारी जिससे वह ट्रैक्टर से उछलकर रेत में दूर जाकर गिर गया । उसके कोई चोट नहीं आई और उसके

ट्रैक्टर को काफी नुकसान हुआ व उसका ट्रैक्टर पलटी खा गया जिससे राह चलती महिला मानीदेवी ट्रैक्टर के नीचे दब गई जिससे मानीदेवी का एक पांव कट गया । प्रेमाराम व शंकराराम ने ट्रैक्टर के नीचे दबी मानीदेवी को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और उपचार हेतु सिणधरी अस्पताल पहुँचाया जहाँ पर मानीदेवी का प्राथमिक उपचार किया तथा रेफर करने पर मानीदेवी को एम्स हॉस्पीटल जोधपुर में भर्ती करवाया जहाँ दौराने इलाज मानीदेवी की मृत्यु हो गई । उक्त दुर्घटना उसकी आँखों के सामने घटित हुई थी जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना सिणधरी में पेश की थी । प्रतिपरीक्षण में इस कथन को गलत बताया है कि वक्त दुर्घटना वह घटनास्थल पर नहीं हो । इस कथन को गलत बताया है कि दुर्घटना उक्त ट्रैक्टर से हुई हो । इस कथन को गलत बताया है कि वक्त दुर्घटना ट्रैक्टर वह चला रहा हो, अजखुद कहा कि ट्रैक्टर साइड में खड़ा था । इस कथन को गलत बताया है कि उसने ट्रैक्टर को सड़क के बीचोंबीच खड़ा किया हो । इस कथन को गलत बताया है कि वह ट्रैक्टर को खड़ा करके चाय पीने के लिए होटल पर चला गया हो, अजखुद कहा कि वह ट्रैक्टर के मडगार्ड के ऊपर पाटिये पर बैठा था । इस कथन को गलत बताया है कि मृतका मानीदेवी दुर्घटना के समय सड़क के बीचोंबीच चल रही हो व जल्दबाजी में सड़क पार कर रही हो जिससे मानीदेवी की गलती से दुर्घटना कारित हुई हो, अजखुद कहा कि मानीदेवी सड़क के साइड में पट्टी के बाहर चल रही थी । इस कथन को गलत बताया है कि दुर्घटना अज्ञात वाहन से हुई हो । इस कथन को गलत बताया है कि दुर्घटना के बाद चालक वाहन को भगाकर ले गया हो जिससे वह उसके नंबर नहीं देख पाया हो, अजखुद कहा कि दुर्घटना कारित वाहन का चालक वाहन को वहीं छोड़कर भाग गया था । इस कथन को गलत बताया है कि आरोपित वाहन उसकी सही साइड में व सावधानी से चल रहा हो तथा उसके चालक की कोई गलती नहीं हो।

14. गवाह ए.डब्ल्यू. 02 लाखाराम ने दुर्घटना, वाहन ट्रेलर टंकी नंबर जी जे 12 ए वाई 8198 के चालक द्वारा ट्रेलर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए साइड में खड़ उसके ट्रैक्टर ट्रोली के पीछे से टक्कर मारकर कारित करना जिसके पास से पैदल जा रही मानीदेवी ट्रैक्टर ट्रोली के नीचे दबने से दुर्घटना में

कारित गंभीर चोटों के कारण दौराने इलाज उसकी मृत्यु होना कथन किया है । इस गवाह की जिरह में ऐसा कोई कथन परिलक्षित नहीं हआ है, जो गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों से प्रतिकूल हो ।

15. प्रार्थीगण ने क्लेम याचिका के साथ दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए हैं, जिसमें फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श 05 व फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श 06 है जिनके अवलोकन से मानीदेवी की मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित है तथा इस तथ्य को अप्रार्थीगण ने विवादित नहीं किया है ।

16. नक्शा मौका प्रदर्श 04 के अवलोकन से दुर्घटना होडू से निम्लकोट जाने वाली सड़क किनारे रोड़ की पट्टी के बाहर 'X' स्थान पर ट्रैक्टर मय ट्रोली का खड़ा होना एवं मृतका के रोड़ की पट्टी के बाहर ट्रैक्टर मय ट्रोली के पास से गुजरते समय ट्रैक्टर मय ट्रोली के पीछे से ट्रेलर द्वारा टक्कर मारने से ट्रैक्टर ट्रोली मानीदेवी के ऊपर गिरने से चोटें आना एवं ट्रैक्टर ट्रोली क्षतिग्रस्त होना बताया है जिसमें संपूर्ण उपेक्षा एवं लापरवाही अप्रार्थी संख्या 01 की होना साबित है ।

17. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 03 में घटना दिनांक 18.01.2020 को शाम करीब 04.00 बजे की बताई है तथा रिपोर्ट दिनांक 19.01.2020 को शाम 07.13 पीएम पर दर्ज करवाई है । मृतका के दुर्घटना में कारित गंभीर चोटों के कारण उसके परिवारजन का इलाज में व्यस्त होना स्वाभाविक है । रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रोली पर बैठे चालक लाखाराम द्वारा दर्ज करवाई है । रिपोर्ट देरीना दर्ज करवाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना घटित नहीं हुई हो जबकि रिपोर्ट देरीना दर्ज करवाने का उचित कारण हो । वाहन टेंकर नंबर जी जे 12 ए वाई 8198 की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श 12 के अवलोकन से उक्त वाहन में भारी मात्रा में टूटफूट होना बताया है जिससे भी उक्त वाहन से दुर्घटना होना साबित होता है ।

18. प्रार्थीगण की ओर से धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श 14 प्रदर्शित करवाया है जिसके जवाब में वाहन ट्रेलर नंबर जी जे 12 ए वाई 8198 के मालिक नेनाराम ने वक्त घटना उसका वाहन खेमाराम द्वारा चलाना कथन किया है ।

19. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का समर्थन व पुष्टि फौजदारी कार्यवाही के दस्तावेजात से भी होती है एवं पुलिस द्वारा भी बाद अनुसंधान दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 01 खेमाराम की उपेक्षा व लापरवाही मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि दिनांक 18.01.2020 को वक्त शाम करीब 04.00 बजे सरहद मौजा होडू निम्बलकोट रोड़ पर अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन ट्रेलर टंकी संख्या जी जे 12 ए वाई 8198 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर ट्रैक्टर ट्रोली को टक्कर मारी जिससे ट्रैक्टर ट्रोली के पास खड़ी मानीदेवी नीचे दब गयी, जिसके परिणामस्वरूप मानीदेवी के शरीर पर गंभीर चोटें कारित होने से दौराने इलाज मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

20. इस विवाद्यक को तय किये जाने हेतु सर्वप्रथम मृतका की आयु व आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने क्लेम याचिका में मृतका श्रीमती मानीदेवी की आयु वक्त दुर्घटना 40 वर्ष होना बताया है। मृतका श्रीमती मानीदेवी के आधार कार्ड प्रदर्श 28ए में जन्म वर्ष 1980 होना अंकित है एवं दुर्घटना दिनांक 18.01.2020 की है, उस आधार पर मृतका श्रीमती मानीदेवी की आयु बरवक्त दुर्घटना 40 वर्ष होना साबित होता है।

21. जहां तक मृतका की आय का प्रश्न है, प्रार्थीगण ने क्लेम प्रार्थना–पत्र में मृतका का व्यवसाय पशुपालन व ऊन कताई (हथकरघा) का कार्य करना, जिससे मासिक आय 15,000/– रुपये अर्जित करना बताया है। मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू. 01 पेमाराम ने मृतका का व्यवसाय पशुपालन व ऊन कताई (हथकरघा) होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से की गई जिरह में इस कथन को सही बताया है कि उसकी पत्नी घर पर ही रहती थी। इस कथन को गलत बताया है कि वक्त दुर्घटना उसकी पत्नी की कोई आय नहीं हो। इस कथन को सही बताया है कि उसने उसकी पत्नी के आय के संबंध में कोई

दस्तावेज पेश नहीं किया है ।

22. प्रार्थीगण की ओर से मृतका के पशुपालन व ऊन कताई (हथकरघा) का कार्य करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, न ही मृतका की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया है, जिससे यह साबित होता हो कि मृतका मृत्यु से पूर्व पशुपालन व ऊन कताई (हथकरघा) का कार्य कर मासिक 15,000/– रुपये की आय अर्जित करती हो ।

23. मृतका श्रीमती मानीदेवी मृत्यु के समय 40 वर्ष की थी, एक घरेलू एवं कामकाजी विवाहित महिला रही है, जो दुर्घटना के समय किसी भी शारीरिक निर्योग्यता से ग्रसित नहीं थी । मृतका द्वारा संपादित दैनिक अपने घरेलू कार्यों एवं दैनिक क्रियाकलापों के मध्यनजर यदि उक्त कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति की सेवाएँ प्राप्त की जाये उस स्थिति में भी पारिश्रमिक अथवा मजदूरी अवश्य ही देनी पड़ेगी एवं पारिश्रमिक पर रखे व्यक्ति द्वारा उस लग्न एवं मेहनत से कार्य को 24x7 संपादित नहीं किया जाता जिस प्रकार से मृतका द्वारा सम्पादित किया जाता । मृतका परिवार की सदस्य होने के नाते उसका परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पण एवं सेवा का स्थान अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता है । अतः मृतका की आयु एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए मृतका श्रीमती मानीदेवी की आय कम से कम एक कुशल श्रमिक की आय मानते हुए तत्समय प्रवृत्त कुशल श्रमिक को देय मजदूरी अनुसार उसकी मासिक आय 6,474/– रुपये, तद्नुसार 77,688/– रुपये वार्षिक आय मानकर मृतका की आयु 40 वर्ष होने से **सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 2009(2) टी.ए.सी. 677 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 15 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लिव पेटीशन (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार मृतका की उम्र 40–50 वर्ष के बीच होने के आधार पर उसकी भविष्य में आय वृद्धि के लिए 25% राशि बढ़ाया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः इस प्रकार भविष्य की आय वृद्धि को जोड़ते

हुए मृतका की वार्षिक आय 77,688 + 25%= 97,110/– रुपये होती है ।

25. मृतका के वारिस उसका पति, पुत्री, पुत्र व सास हैं, परन्तु सास को मृतका की आय पर निर्भर होना नहीं माना जा सकता है जिससे मृतका पर निर्भर सदस्यों की संख्या 03 होने के तथ्य को देखते हुए मृतका के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/3 राशि कटौती की जाना समुचित प्रतीत होता है । इस प्रकार मृतका की वार्षिक आय की हानि 97,110/– – 1/3 (32,370) = 64,740/– रुपये तय की जाती है ।

26. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सिविल अपील नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में 15,000/– रुपये एवं दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाए जाने, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाया जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है, जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

27. प्रार्थीगण ने मृतका को कारित चोटों के कारण इलाज हेतु सिणधरी अस्पताल लेकर जाना एवं रेफर करने पर एम्स अस्पताल, जोधपुर में भर्ती करवा इलाज करवाना बताया है तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतका को कारित गंभीर चोटों के इलाज करवाने संबंधी दस्तावेज भी पेश कर साबित किए हैं । दुर्घटना दिनांक 18.01.2020 को घटित हुई है एवं मृतका की जैर इलाज रहते दिनांक 29.02.2020 को एम्स अस्पताल, जोधपुर में मृत्यु होना साक्ष्य से साबित है । इस प्रकार मृतका जैर इलाज कुल 43 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पाया जाता है । जिससे प्रार्थीगण, मृतका के इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सामान्य खर्चा भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

28. प्रार्थीगण की ओर से उक्त दुर्घटना में मृतका को कारित हुई गंभीर चोटों

के इलाज करवाए जाने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 29 लगायत 54 हैं जिसमें जांच रिपोर्ट एवं इलाज के संबंध में चिकित्सीय परीक्षण, दवाइयों इत्यादि के बिलों का समेकित योग रुपये 28,559/– है, जो दिलवाया जाना उचित है। मृतका को इलाज हेतु सिणधरी व जोधपुर ले जाने तथा मृत्यु उपरांत उसकी लाश को जोधपुर से उसके गांव तक लाने में हुए परिवहन व्यय के रूप में भी समुचित राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

29. इस प्रकार प्रार्थीगण को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1.	मृतका की आयु	40 वर्ष
2.	गुणक	15
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	97,110/–
4.	मृतका के स्वयं के खर्चों की 1/3 कटौती	32,370/–
5.	कुल आय की हानि (64,740 X 15)	9,71,100/–
6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/–
7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/–
8.	Loss of consortium (48,000 X 4) मद में रुपए	1,92,000/–
9.	अस्पताल में भर्ती रहने पर सामान्य मद में 43 दिन x 1000/– प्रतिदिन	43,000/–
10.	मेडिकल बिल की राशि (रुपये में)	28,559/–
11.	यातायात पर हुए व्यय के पेटे	20,000/–
	कुल मुआवजा राशि	12,90,659/–

30. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 03</u>

31. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी संख्या 04 बीमा कंपनी पर था, किंतु अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर विवाद्यक को साबित नहीं करवाया है, जिससे उक्त विवाद्यक

अप्रार्थी संख्या 04 बीमा कंपनी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है । अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य और परिस्थितियाँ भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं ।

<u>अनुतोष</u>

32. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 04 बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णीत किये गये हैं जिससे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुआवजा याचिका स्वीकार योग्य पाई जाती है ।

– आदेश –

33. अतः प्रार्थीगण पेमाराम वगैरह् की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में **12,90,659/–** (अक्षरे बारह लाख नब्बे हजार छः सौ उनसठ रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

34. अप्रार्थी संख्या 02, वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 03 का मुख्त्यार होल्डर होने से अप्रार्थी संख्या 02 की मुआवजा अदायगी की कोई जिम्मेवारी नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 02 को दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है ।

35. अप्रार्थी संख्या 01 दुर्घटना में लिप्त वाहन का चालक, अप्रार्थी संख्या 03 मालिक व अप्रार्थी संख्या 04 बीमा कंपनी होने से, प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01, 03 व 04 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **12,90,659/–** (अक्षरे बारह लाख नब्बे हजार छः सौ उनसठ रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 12.01.2021 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

36. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थीगण द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण

संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थीगण अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थीगण को जरिये बचत खाता अदा हो ।

37. इस राशि में से प्रार्थीगण के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

प्रार्थी संख्या	**03 वर्ष हेतु**	**06 वर्ष हेतु**	**09 वर्ष हेतु**	**कुल राशि**
प्रार्थी संख्या 01	2,00,000/–	2,00,000/–	2,00,000/–	6,00,000/–
प्रार्थी संख्या 02	50,000/– नकद 2,00,000/– एफडीआर	–	–	2,50,000/–
प्रार्थी संख्या 03	50,000/– नकद 2,00,000/– एफडीआर	–	–	2,50,000/–
प्रार्थी संख्या 04	50,000/– नकद	–	–	50,000/–
कुल योग				11,50,000/–

38. शेष राशि 1,40,659/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थी संख्या 01 को नकद अदा की जाए ।

39. प्रकरण का खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे । उपरोक्तानुसार पर्चा एवार्ड मुर्तिब हो ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

40. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.06.20 11:54:06 +0530